संख्याःशिक्षा–कांगडा(जी– ।।)भवन / 2020–विघटन–
कार्यालय उप शिक्षा निदेशक उच्च, कांगडा स्थित धर्मशाला।
फोन न0. 01892–223124 ईमेलः ddhe-kan-hp@gov.in

दिनांकः धर्मशाला–176215 18 दिसम्बर, 2024

सेवा में

समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक,
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक / उच्च पाठशला,
जिला–कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

Dy D.
Higher E.
18 DEC 2024
Diary No. 10720-22
Kangra at Dharamsala

विषय :– **असुरक्षित स्कूल भवन बारे।**

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सदर्भ में शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला–01 के कार्यालय पत्र संख्याः शिक्षा–एच ई (9) 4–3 / 2023.–24 (मण्डी) दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि, जिला कांगडा की जितनी भी पाठशालाओं के भवन असुरक्षित हैं, उनमें बच्चों को न बिठाया जाए। ऐसी स्थिति में बच्चों के बैठने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाये। यदि बच्चों को बिठाने के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था नहीं होती है, तो इस स्थिति में स्कूल के उपयोग हेतु सम्बन्धित उपायुक्त से भवन के लिए आग्रह किया जाए। यदि सरकारी भवन उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में उपायुक्त महोदय से निजी भवन को किराए पर लेने के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाए। निजी भवन किराए पर लेने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त मामला निदेशालय को अनुमति / स्वीकृति के लिए भेजें। जिन–2 पाठशालाओं के भवनों की दयनीय स्थिति है उनको नियमानुसार असुरक्षित घोषित करने तथा गिराने की सम्बन्धित अधिकारी से स्वीकृति प्रदान करने हेतु आवश्यक पग उठाए जायें व ठेका लेने के लिए एक माह के भीतर गिराया जाना सुनिश्चित करें। मामले मे सरकार के पत्र संख्याः Fin-E-I (A)3-1/2006 Dated 06-10-2010, Fin-E-I (A)3-1/2006 Dated 15-11-2020, Shiksha-II-Ga(7)2/2008-1 Dated 30-03-2011 and Fin-E-I (A)3-1/2006 Dated 18-04-2011के अनुसार ही कार्यवाही अमल में लाई जाए। असुरक्षित भवनों की निलामी होने के उपरान्त जो राशि प्राप्त होगी वह सरकारी खजाने में जमा करवाई जाएगी। असुरक्षित भवनों के गिराए जाने के तुरन्त बाद सम्बन्धित पाठशाला हेतु नये भवन के निर्माण हेतु पूर्ण मामला प्राक्कलन / रेखाचित्रांक सहित शिक्षा निदेशालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।

उप शिक्षा निदेशक (उच्च),
कांगडा स्थित धर्मशाला हि0प्र0।

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त दिनांक धर्मशाला–176215 18 दिसम्बर, 2024
प्रतिलिपिः–

1. शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश शिमला को उनके पत्र संख्याः शिक्षा–एच ई (9) 4–3 / 2023–24(मण्डी) दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी कम्पयूटर प्रकोष्ठ, उक्त पत्र को विभागीय बैवसाईट व ई–मेल पर अपलोड करने हेतु।
3. कार्यालय अभिलेख।

उप शिक्षा निदेशक (उच्च),
कांगडा स्थित धर्मशाला हि0प्र0।